


09/06/26

पत्रावली आज पेश हुई। प्राचीन व उनके वकील  
अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक  
कर तीन बार आवाज लगाई गई बावजूद  
प्राचीन व उनके वकील गैर हाजिर रहे।  
अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवं असमर्थता  
में धारिज की जाती है। पत्रावली फसल  
सुमार होकर दाखिले दफ्तार है एवं  
नंबर से कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन